संख्या-23/2016/2013सी0डी0/46-3-16-1000(56)/2014

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2016 द्वारा गन्ना विभाग की हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राइमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम हेतु **700.00** लाख तथा इनहांसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु रु० **550.00** लाख कुल रु०-**1250** लाख की अवमुक्त धनराशि के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1816-18/रा0कृ0वि0यो0/विकास दिनांक 29.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता वाली एस0एल0एस0सी0 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग हेतु हाई क्वाल्टी सुगर केन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राइमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम एवं इनहांसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु, वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रु0 7,00,00,000/-(रुपया सात करोड मात्र) एवं रु0 5,50,00,000/-(रुपया पॉच करोड पचास लाख मात्र) कुल रु0 12,50,00,000/-(रुपया बारह करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-1094/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-1094/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 24 अगस्त, 2016 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो(गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्नुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या- 23/2016/ 2013(1)सी0डी0/46-3-16-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)
2- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
3- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
4- प्रभारी निदेशक, उ०प्र०गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर
5- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)
9- नोडल अधिकारी(आर0के0वी0वाई0), उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्ययोजना आयोग-1/2
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2016 /2013सी0डी0/46-3-16-1000(56)/2014, लखनऊः दिनांक 21 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2016-17** की कार्ययोजना के सापेक्ष हाईक्वाल्टी सुगरकेन फाउन्डेशन शीड एण्ड प्राइमरी शीड प्रोडेक्सन एण्ड डिस्ट्रीब्यूसन प्रोग्राम हेतु रु० **700.00** लाख तथा इनहांसिंग सुगर केन प्रोडेक्सन इन यू०पी० हेतु रु० **550.00** लाख कुल धनराशि अंकन रु०-**1250** लाख का कार्यक्रमवार/जनपदवार फांट

(धनराशि रुपये में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	माईक्रोन्यूटियेन्ट वितरण कार्यक्रम	क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	कृषक गोष्ठी/मेला कार्यक्रम	कुल योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सहारनपुर	388200.00	2212000.00	799000.00	1170000.00	100000.00	4669200.00
2	मुजफ्फरनगर	611150.00	3483700.00	1259000.00	1830000.00	100000.00	7283850.00
3	शामली	236050.00	1345425.00	486000.00	705000.00	100000.00	2872475.00
	योग मण्डल	**1235400.00**	**7041125.00**	**2544000.00**	**3705000.00**	**300000.00**	**14825525.00**
4	मेरठ	507250.00	2891300.00	1044500.00	1515000.00	100000.00	6058050.00
5	बागपत	338650.00	1930275.00	697500.00	1005000.00	100000.00	4071425.00
6	गाजियाबाद	80000.00	456250.00	164500.00	240000.00	100000.00	1040750.00
7	बुलन्दशहर	211200.00	1203725.00	435000.00	630000.00	100000.00	2579925.00
8	हापुड़	96200.00	548325.00	198000.00	300000.00	100000.00	1242525.00
	योग मण्डल	**1233300.00**	**7029875.00**	**2539500.00**	**3690000.00**	**500000.00**	**14992675.00**
9	मुरादाबाद	258250.00	1471925.00	532000.00	765000.00	100000.00	3127175.00
10	रामपुर	126550.00	721300.00	260500.00	375000.00	100000.00	1583350.00
11	अमरोहा	309250.00	1762625.00	637000.00	930000.00	100000.00	3738875.00
12	सम्भल	129000.00	735300.00	265500.00	375000.00	100000.00	1604800.00
13	बिजनौर	987450.00	5628325.00	2034000.00	2955000.00	100000.00	11704775.00
	योग मण्डल	**1810500.00**	**10319475.00**	**3729000.00**	**5400000.00**	**500000.00**	**21758975.00**
14	बरेली	382850.00	2182350.00	788500.00	1140000.00	100000.00	4593700.00
15	बदायू	100050.00	570300.00	206000.00	300000.00	100000.00	1276350.00
16	पीलीभीत	371350.00	2116675.00	764500.00	1110000.00	100000.00	4462525.00
17	शाहजहाँपुर	281700.00	1605700.00	580000.00	840000.00	100000.00	3407400.00
18	कासगंज	22050.00	125750.00	45000.00	75000.00	100000.00	367800.00
19	अलीगढ	52350.00	298175.00	107500.00	150000.00	100000.00	708025.00
	योग मण्डल	**1210350.00**	**6898950.00**	**2491500.00**	**3615000.00**	**600000.00**	**14815800.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	लखीमपुर	1184050.00	6749500.00	2439000.00	3540000.00	100000.00	14012550.00
21	सीतापुर	696050.00	3967425.00	1433500.00	2085000.00	100000.00	8281975.00
22	रायबरेली	11450.00	65225.00	23500.00	45000.00	100000.00	245175.00
23	फरूर्खाबाद	58650.00	334175.00	120500.00	165000.00	100000.00	778325.00
24	हरदोई	181500.00	1034600.00	373500.00	540000.00	100000.00	2229600.00
25	कानपुर	29400.00	167425.00	60500.00	90000.00	100000.00	447325.00
	योग मण्डल	**2161100.00**	**12318350.00**	**4450500.00**	**6465000.00**	**600000.00**	**25994950.00**
26	फैजाबाद	159000.00	906375.00	327500.00	465000.00	100000.00	1957875.00
27	सुल्तानपुर	40800.00	232425.00	84000.00	120000.00	100000.00	577225.00
28	बाराबंकी	39850.00	227125.00	82000.00	120000.00	100000.00	568975.00
29	जौनपुर	11300.00	64625.00	23000.00	45000.00	100000.00	243925.00
30	गाजीपुर	16800.00	95875.00	34500.00	45000.00	100000.00	292175.00
31	वाराणसी	11450.00	65325.00	23500.00	45000.00	100000.00	245275.00
32	अम्बेडकरनगर	80100.00	456500.00	164500.00	240000.00	100000.00	1041100.00
	योग मण्डल	**359300.00**	**2048250.00**	**739000.00**	**1080000.00**	**700000.00**	**4926550.00**
33	गोण्डा	324550.00	1849900.00	668500.00	960000.00	100000.00	3902950.00
34	बलरामपुर	400950.00	2285500.00	825500.00	1200000.00	100000.00	4811950.00
35	बहराईच	361050.00	2058075.00	743500.00	1080000.00	100000.00	4342625.00
	योग मण्डल	**1086550.00**	**6193475.00**	**2237500.00**	**3240000.00**	**300000.00**	**13057525.00**
36	गोरखपुर	13200.00	75300.00	27000.00	30000.00	100000.00	245500.00
37	बस्ती	277250.00	1580225.00	571000.00	825000.00	100000.00	3353475.00
38	महराजगंज	80200.00	457200.00	165000.00	240000.00	100000.00	1042400.00
39	सिद्धार्थनगर	7000.00	40100.00	14000.00	30000.00	100000.00	191100.00
	योग मण्डल	**377650.00**	**2152825.00**	**777000.00**	**1125000.00**	**400000.00**	**4832475.00**
40	देवरिया	47000.00	267850.00	107000.00	270000.00	100000.00	791850.00
41	कुशीनगर	358650.00	2044375.00	738500.00	1065000.00	100000.00	4306525.00
42	मउ	51850.00	295550.00	106500.00	150000.00	100000.00	703900.00
43	बलिया	17900.00	102150.00	36500.00	45000.00	100000.00	301550.00
44	आजमगढ	50450.00	287750.00	103500.00	150000.00	100000.00	691700.00
	योग मण्डल	**525850.00**	**2997675.00**	**1092000.00**	**1680000.00**	**500000.00**	**6795525.00**
	योग प्रदेश	**10000000.00**	**57000000.00**	**20600000.00**	**30000000.00**	**4400000.00**	**122000000.00**
उ०प्र०गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर,उ०प्र० को ब्रीडर शीड उत्पादन कार्यक्रम हेतु							3000000.00
						कुल योग	**125000000.00**

(रुपया बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नोट–1:–जनपद शामली हापुड तथा सम्भल को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा आहरण कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जायेगा।
2– उ०प्र० गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को आवंटित धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराया जयेगा।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।